

10/10/19 पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली वास्तु उपरी
आदेश पलकी उपे मूल प्राप्ता हेतु दिनांक
15/10/19 को पेश हो

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

15/10/19

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय द्वारा
कन्डोलेंस/कार्य स्थगित व
के कारण कार्यवाही नहीं की जा
सकी। पत्रावली दिनांक
को पेश हो।

25/10/19

25/10/19

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय द्वारा
कन्डोलेंस/कार्य स्थगित करने
के कारण कार्यवाही नहीं की जा
सकी। पत्रावली दिनांक
को पेश हो।

31/10/19

31/10/19

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्राची उपरी
वकील प्राची के के द्वारा सर्वे अप्राधीगण
की नामील पारिप रिजिस्टर्ड Ad से करवाकर
डाक रसीद पत्रावली पर सलगन करदी है।
अप्राधीगण की नामील करवाडे । भाट से
अधिक का समय ले चुका है आ दिनांक
तक अप्राधीगण न्यायालय के उपस्थित नहीं
हूँ है। लिहाजा अप्राधीगण के खिलाफ

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला-जयपुर

सा उपरि
दिनांक
सा उपरि
अप्राथमिक
करवाकर
से
साक
गवही
साक

एक पक्षीय कार्यवाही अमला में लायी
जाती है. वकील शर्मा के द्वारा प्रोप्टर 128
को स्वीकार किये जाने का न्यायालय राजा
से निवेदन किया! अतः पत्रावली का सावधानी
पूर्वक अवलोकन करने पश्चात् शर्मा द्वारा
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाक्या पाथरगदी को
स्वीकार किये जाने के आदेश दिये जाते
हैं! व महतीलपाट करसी को अपेक्षित
किया जाता है कि वह वाय ग्राह्य आराजी की
पाथरगदी करने हेतु जो डिपॉजिट व चार
परवारीमान की सभ्यता हम गठित कर
निर्णय अनुसार पाथरगदी करना प्रतिक्रिया
करे! पाथरगदी करते वक्ता अगर जोके पर
किसी प्रकार की बलीस शक्याद की आवश्यकता
है तो धाना विकारी हूँगा धाना हूँगा से बलीस
जापता प्राप्त कर पश्चात् पाथरगदी करना प्रतिक्रिया
करे! निर्णय की प्रति व श्रुतपाद की प्रति
के साथ महतीलपाट करसी को पालना
हेतु मक्षर जारी है!

पत्रावली के मूल दृष्टिकोण लेकर दर्ज नमूने
से कम होने पर

